20/8/24 पत्रावलि प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता वादी ने उपस्थित तथा कथन किया कि तहसीलदार द्वारा उनके पत्र दिनांक 21.2.2023 से रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है अतः रिपोर्ट तहसीलदार की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। दावे पर अंतिम बहस सुनी जाकर निर्णीत (निस्तारित) किया जावे। पत्रावली पर सरकार अनुपस्थित है। वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस वादी सुन ली गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर (हैडक्वाटर -तिजारा)

तारीख हुकम	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज महादेव प्रसाद बनाम राज. सरकार
	पत्रावलि वास्ते निर्णय 3/9/24 को प्रस्तुत है। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
	03/9/2024 - पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रकरण में वादी ने इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया है कि आराजी ख॰ नं॰ 1005 रकबा 3 बीघा बिस्वा था जो हाल ख॰ नं॰ 2105 रकबा 0.91 हैक्टे॰ वाके ग्राम मुण्डावर तह॰ मुण्डावर में स्थित है। यह खा.ख.न. पर बरबक्त कायमी राज-काश्तकारी अधिनियम 1955 वो राज॰ बिस्वेदारी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 श्री रयोलीराम (वादी के पिता) विवादित आराजी पर काबिल व दाखिल थे जिन्हें फलस्वरूप खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है व बतौर खातेदार काबिज हो गये है। जबाबे जमाबन्दी में गैर मौरूसी का इन्द्राज है जो इन्द्राज कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अतः डिक्री इजराय इस्तकरारहक बहक वादी पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादी आराजी ख.न. 2105 रकबा 0.9100 है॰ वाके ग्राम मुण्डावर तह. मुण्डावर का खातेदार है व इसी कदर हाल जमाबन्दी में वादी के नाम का अमल कराया जावे। प्रतिवादी तहसीलदार मुण्डावर की ओर से जवाब पेटीफार रिपोर्ट दिनांक 21/2/23 इस प्रकार की प्राप्त हुई है कि मौका यह (हस्ताक्षर) नायब तहसीलदार (मुण्डावर) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर महादेव प्रसाद बनाम राज. सरकार चीकार है कि खा.न. 2105 रकबा 0.91 है, जो कि ग्राम मुण्डावर में स्थित है शेष वादी स्वयं सिद्ध करें। बहस एकतरफा वादी अधिवक्ता सुनी गई जिसमें वादी अधिवक्ता ने दावे के कथनों का दोहराव करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन का अनुतोष का आग्रह किया। पत्रावलि का अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया। मुताबिक जमाबंदी सं० 2069-72 के खाता संख्या 880 में खा.न. 2105 रकबा 0.9100 हैक्टेयर महादेव प्रसाद पुत्र श्योजीलाल महाजन सा० देह गै० मौ० 36 साल अंकन है। वादी द्वारा धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा ईस्तकरारदावा मय दुरुस्ती इन्द्राज पेश किया गया है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादी में खातेदारी अधिकारों का सृजन होना नहीं पाया गया है एवं रिकार्ड जमाबंदी में भी गै० मौ० के रूप में अंकन है इसलिए खातेदारी अधिकार की घोषणा इस प्रकार दावे से किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गै० मौ० संबंधी प्रकरणों में खातेदारी प्रदान किये जाने के प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार सरकार द्वारा पृथक से परिपत्र इत्यादि जारी किये हुए हैं इसलिए ऐसे प्रकरणों में तदनुसार प्रक्रिया से ही खातेदारी प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की जानी विधिसम्मत है। इस प्रकार इस दावे के अनुसार अनुतोष प्रदान किया जाना संभव न होने	

सहायक राजस्व लेखाकार (फाइनेंस) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तारीख हुकम	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुण्डावर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज महादेव प्रसाद बनाम राज. सरकार
	से वाद स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है पत्रावली निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 03/9/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वाद तामील वकील नम्बर से कम होकर दाखिले दफ्तर हो। 3/9/24 सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.) कुण्डावर (लेरथल-तिजारा) (पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी कुण्डावर